कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, कोटा

कमांक : प.जि.न्याया / स्था. / 2020 / 13637-13640 दिनांक : 6-8-20

कार्यालय आदेश

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जारी परिपत्र कमांक पी.आई. / 2020 / 20 दिनांक 12.06.2020 की पालना में यद्यपि दिनांक 29.06.2020 तथा उसके पश्चात् कोटा न्याय क्षेत्र के सभी अधीनस्थ न्यायालय / विशिष्ट न्यायालय / अधिकरण / बोर्ड में उक्त परिपत्र के बिन्दु संख्या 11 में दिए गए निर्देशानुसार बयान गवाह लेखबद्ध किए जाने को छोड़कर नियमित न्यायिक कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है तथा गवाहान के बयान लेखबद्ध किए जाने का कार्य दिनांक 01.08.2020 से प्रारम्भ किया जा चुका है, फिर भी उक्त परिपत्र के बिन्दु संख्या 18 में दिए गए निर्देशानुसार इस कार्यालय के आदेश कमांक प.जि.न्याया / स्था. / 2020 / 10533–10607 दिनांक 15.06.2020 के द्वारा दिनांक 29.06.2020 के उपरान्त भी 65 वर्ष तथा उससे अधिक आयु के अधिवक्तागण को जरिए ई–मेल अपने प्रार्थना–पत्र व दस्तावेजात सम्बन्धित न्यायालय में मेल करने तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बहस करने का सुझाव दिया गया है तथा उनको व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होना अंकित किया गया है। इसके अतिरिक्त अन्य अधिवक्तागण को भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सम्बन्धित न्यायालय में बहस करने की स्वतंत्रता दी गई है।

ऐसी अवस्था में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के उक्त परिपत्र कमांक पी. आई. / 2020 / 20 दिनांक 12.06.2020 तथा इस कार्यालय उक्त आदेश दिनांक 15.06.2020 में जारी किए गए निर्देशों के अग्रसरण में प्रकरणों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा Vidyo/Whatsapp/Skype या Voice Call या अन्य सुगम तरीके से All-in-one Computer और Smart Phone with Official SIM के माध्यम से करने हेतु कोटा मुख्यालय पर स्थित निम्न न्यायालयों के ई–मेल आई.डी. तथा वीडियो कॉलिंग हेतु मोबाईल नम्बर निम्न प्रकार हैं तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के पत्र कमांक Gen/XV/43/2020/2671 दिनांक 17.04.2020 में दिए गए निर्देशानुसार सम्बन्धित न्यायालयों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा की जाने वाली कार्यवाही के दरौरान अथवा कार्यवाही के उपरान्त आने वाली समस्याओं के सम्बन्ध में शिकायत दर्ज कराने हेतु सम्बन्धित न्यायालयों के हैल्पलाईन नम्बर निम्न प्रकार निर्धारित किए जाते हैं जो दिनांक 31.08.2020 तक प्रभावी रहेंगे :–

(21) 6/8/20

क.सं.	न्यायालय का नाम	हैल्पलाईन नम्बर	E-mail ID	Video Calling No.
1	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, महिला उत्पीड़न प्रकरण, कम–2, कोटा	0744-2320287	wa2-kot-rj@hcraj.nic.in	8279080438
2	विशिष्ट न्यायालय, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण प्रकरण), कोटा	0744-2320840	scst-kot-rj@hcraj.nic.in	8279080491

सम्बन्धित पीठासीन अधिकारीगण को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने अधीनस्थ किसी एक कर्मचारी को उनके हैल्पलाईन नम्बर पर आने वाली शिकायतों को सुनने के लिए पाबन्द करेंगे जो, प्राप्त होने वाली सभी शिकायतों का पूर्ण रिकॉर्ड रखेगा तथा सम्बन्धित पीठासीन अधिकारी के समक्ष उचित आदेश हेतु प्रस्तुत करेगा तथा समस्त पीठासीन अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली सुनवाई के सम्बन्ध में सूचना प्रतिदिन रजिस्टर में अंकित करवाकर अपने हस्ताक्षर करेंगे।

6/8/20

जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
कोटा

क्रमांक : प.जि.न्याया/स्था./2020/13657-13664 दिनांक : 6-8-20

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, महिला उत्पीड़न प्रकरण, क्रम-2, कोटा
2. विशिष्ट न्यायालय, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अ. नि. प्र.), कोटा
3. अध्यक्ष, अभिभाषक परिषद, कोटा
4. सिस्टम ऑफिसर को जिला न्यायालय, कोटा की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
5. कार्यालय प्रति

6/8/20

जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
कोटा